



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

परबतसर मास्टर प्लान

(2010—2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड एवं ग्रीन सिटी सर्वेयर्स प्रा० लि०, जयपुर

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, सरकार

आभार

परबतसर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में परबतसर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगरी के सुनियोजित विकास कार्य में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर, नागौर, नगर पालिका परबतसर का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है उनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुये सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विषय कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सतत सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।



(बी.डी. जाट)

वरिष्ठ नगर नियोजक,

अजमेर जोन अजमेर।

विषय-सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
		प्रस्तावना	
		विषय सूची	
		तालिका-सूची	
1		परिचय	1
2		विद्यमान विशेषताएं	4
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	4
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3	ऐतिहासिक	6
	2.4	जनांकिकी	6
	2.5	व्यावसायिक संरचना	7
	2.6	विद्यमान भू-उपयोग	8
	2.6.1	आवासीय	10
	2.6.1(अ)	आवासन	10
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियां	10
	2.6.2	वाणिज्यिक	11
	2.6.3	औद्योगिक	11
	2.6.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	12
	2.6.5	आमोद-प्रमोद	13
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	13
	2.6.6(अ)	शैक्षणिक सुविधाएं	14
	2.6.6(ब)	चिकित्सा सुविधाएं	14
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	15
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	16
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	16
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	16
	2.6.6(य)(ii)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	17
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	17
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	18
	2.6.7	परिसंचरण	18
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	18
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	19

	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	19
3		नियोजन की संकल्पना	20
	3.1	नियोजन की नीतियां	21
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	22
4		भावी आकार	24
	4.1	जनांकिकी	25
	4.2	व्यावसायिक संरचना	26
	4.3	नगरीय क्षेत्र	27
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	27
	4.5	योजना क्षेत्र	28
	4.5.1	पूर्वी योजना परिक्षेत्र	28
	4.5.2	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	29
	4.5.3	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	30
	4.5.4	परिधि नियंत्रण पट्टी	31
5		भू-उपयोग योजना	32
	5.1	आवासीय	33
	5.1.1	आवासन	34
	5.1.2	अनौपचारिक सेक्टर के लिए आवास	34
	5.1.3	कच्ची बस्तियां	35
	5.2	वाणिज्यिक	35
	5.2.1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	36
	5.2.2	थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार	36
	5.2.3	भण्डारण एवं गोदाम	36
	5.2.4	वाणिज्यिक केन्द्र	37
	5.3	औद्योगिक	37
	5.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	37
	5.5	आमोद-प्रमोद	38
	5.5.1	उद्यान एवं खुले स्थल	38
	5.5.2	स्टेडियम एवं खेल मैदान	38
	5.5.3	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	39
	5.5.4	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	39
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	39
	5.6.1	शैक्षणिक सुविधाएं	40
	5.6.2	चिकित्सा सुविधाएं	41
	5.6.3	सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक स्थल	41
	5.6.4	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	41

	5.6.5	जनोपयोगी सुविधाएं	41
	5.6.5(अ)	जलापूर्ति	42
	5.6.5(ब)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	42
	5.6.5(स)	विद्युत आपूर्ति	42
	5.6.5(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	42
	5.7	परिसंचरण	42
	5.7.1	प्रस्तावित यातायात संरचना	43
	5.7.1(अ)	सड़कों का मार्गाधिकार	43
	5.7.1(ब)	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	46
	5.7.1(स)	पार्किंग स्थलों का विकास	46
	5.7.1(द)	चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण	46
	5.7.2	बस अड्डा तथा यातायात नगर	46
	5.7.2(अ)	बस अड्डा	46
	5.7.2(ब)	यातायात नगर	47
	5.7.2(स)	रेल एवं हवाई सेवा	47
	5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	47
	5.9	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	48
6		योजना का क्रियान्वयन	49
	6.1	वर्तमान आधार	49
	6.2	प्रस्तावित आधार	50
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	51
	6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	51
	6.5	योजना का क्रियान्वयन	52
	6.6	उपसंहार	52
परिशिष्ट:-			
1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान)		53
2	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्घरण		55
3	नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 20.07.2010		57
4	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.12.2011		58

तालिका –सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, परबतसर 1961–2010	7
2	श्रमिक वर्गीकरण, परबतसर 1991–2001	7
3	व्यावसायिक संरचना, परबतसर 1991–2010	8
4	विद्यमान भू-उपयोग, परबतसर–2010	9
5	परबतसर नगर की कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित वर्ष 2010)	11
6	पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, परबतसर–2010	12
7	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, परबतसर–2010	13
8	शैक्षणिक संरचना, परबतसर–2010	14
9	चिकित्सा सुविधाएं, परबतसर–2010	15
10	जलापूर्ति, परबतसर–2010	17
11	विद्युत आपूर्ति, परबतसर–2010	17
12	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान परबतसर 1981–2031	25
13	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, परबतसर 2001–2031	26
14	योजना क्षेत्र, परबतसर–2031	28
15	प्रस्तावित भू-उपयोग, परबतसर–2031	33
16	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, परबतसर–2031	36
17	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, परबतसर–2031	40
18	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई–परबतसर–2031	45
19	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, परबतसर–2031	45

1

परिचय

परबतसर राज्य राजमार्ग-7 (संगरिया-रूपनगढ़) एवं राज्य राजमार्ग-21 A पर स्थित नागौर जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह जिला मुख्यालय नागौर से 135 कि.मी. एवं सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से 66 कि.मी. की दूरी पर मध्य राजस्थान में 26°53' उत्तरी अक्षांश एवं 74°46' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 431 मीटर है। परबतसर में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। परबतसर का समीपस्थ हवाई अड्डा 119 कि.मी. दूरी पर स्थित जयपुर हवाई अड्डा है।

यहां पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय है। यहां पर प्रथम नगरपालिका बोर्ड का गठन 1955 में हुआ। नागौर जिले की कुल दस नगरपालिकाओं में से परबतसर 'सी' श्रेणी की नगरपालिका है। वर्ष 2001 की जनसंख्या 13821 थी इसके अनुसार यह चतुर्थ श्रेणी का नगर है।

परबतसर का मौसम शुष्क रहता है। यहां गर्मियों में अधिकतम तापमान 43.4° सैन्टीग्रेट तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 2.10° सैन्टीग्रेट दर्ज किया गया है।

यह नागौर जिले के अन्य नगरों यथा मूण्डवा, डीडवाना, मेड़ता, डेगाना, जायल, लाडनू इत्यादि से सड़क मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 380 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गेहूँ, सरसों, जौ, चना, जीरा, ग्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, मोठ इत्यादि यहां की मुख्य फसलें हैं।

राजस्थान के हृदय स्थल के नाम से विख्यात परबतसर नगर ऐतिहासिक, धार्मिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना वर्ष 1836 में माहेश्वरी समाज के किसी विशेष वर्ग द्वारा की गई थी।

परबतसर नगर सभी सम्प्रदायों की धार्मिक स्थली है, परबतसर के समीप तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक मास में भरने वाले मेले में लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, यहां ऊँट और बैल अर्थात् पशु मेला विश्वभर में प्रसिद्ध है। परबतसर नगर के समीप 7 कि.मी. की दूरी पर कैवाय माताजी का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र मास एवं आसोज मास में नवरात्रा के समय हजारों दर्शनार्थी आते हैं तथा माताजी के दर्शन का लाभ पाकर अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। यहां से 15 कि.मी. दूरी पर विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल की खदानें हैं, जहां के मार्बल से बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की यादगार में आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था।

यहां वर्तमान में उपखण्ड, तहसील, दूर संचार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत, सिंचाई, वन, अजमेर विद्युत वितरण निगम, स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग के कार्यालय स्थित हैं।

परबतसर नगर का विकास सुनियोजित रूप से नहीं होने, सड़कों की चौड़ाई कम होने, नालियों का निर्माण एवं यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने के कारण आवागमन में बाधा आती रहती है। परबतसर नगर में स्थाई व सुनियोजित बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण अव्यवस्थित यातायात से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

यहां वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति 14 कि.मी. की दूरी पर हुलढाणी से नलकूपों के माध्यम से की जा रही है। पीने के पानी में टीडीएस व नाइट्रेट की मात्रा पीएचईडी के विभागीय मानदण्डों से अधिक होने के कारण पेयजल की समस्या गम्भीर है।

परबतसर नगर के विकास के साथ-साथ यहां विभिन्न नगरीय समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में नगरपालिका के द्वारा कचरा निस्तारण, जल-मल निकास (सीवरेज), अग्निशमन सेवाएं इत्यादि उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि नगर के लिए एक ऐसी योजना बनायी जाए, जिसमें वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्ति युक्त रूप से भावी विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से नगर के लिए एक मास्टर प्लान का बनाया जाना आवश्यक है। इस मन्तव्य से ही राज्य सरकार ने परबतसर का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(156) नवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर परबतसर राजस्व ग्राम सहित 9 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए परबतसर नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया गया है। (परिशिष्ट - 3) इसी क्रम में राज्य सरकार ने आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से परबतसर का मास्टर प्लान बनाने के लिए ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. जयपुर को कार्यादेश दिया।

मास्टर प्लान बनाने के लिए मै0 ग्रीन सिटी सर्वेयर्स प्रा0 लि0 द्वारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, जन सुविधाओं आदि से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षण, इन सर्वेक्षणों एवं आंकड़ों का विवेचन तथा मास्टर प्लान के लिए योजना सिद्धान्तों सहित नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगर की विभिन्न आवश्यकताओं का मानक स्तरों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान, स्थल निर्धारण आदि किया गया तथा इन सब अध्ययनों के आधार पर परबतसर नगर के मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

नगर के भावी विकास के निर्देशन हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिससे यहां के नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं आनन्दमय जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि नगर के नागरिकों को इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु मास्टर प्लान

प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि इस पर शहर के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर

अपने सुझाव प्रस्तुत कर सके। प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के समबन्ध में सभी प्रकार की आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

परबतसर मास्टर प्लान के प्रारूप पर कुल 4 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। जिनके अर्न्तगत कुल 6 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझाव का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षणकर जांच के उपरान्त 01 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 01 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 04 आपत्ति/सुझाव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार परबतसर मास्टर प्लान एवं क्षेत्र मानचित्र, भू-उपयोग मानचित्र में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मध्येनजर वांछित परिवर्तन करते हुये मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 (1) के अर्न्तगत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(बी.डी. जाट)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन अजमेर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अर्न्तगत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(156)नवि/3/2010 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-4)

2

विद्यमान विशेषताएं

यह आवश्यक है कि भविष्य में नगर के सुनियोजित विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नगर का भौगोलिक स्वरूप और जलवायु, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, इतिहास, जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विद्यमान भू-उपयोग एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का अध्ययन किया जाए।

2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु :-

परबतसर 26°53' उत्तरी अक्षांश एवं 74°46' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर जिला मुख्यालय नागौर से 135 कि.मी., सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से इसकी दूरी 66 कि.मी. एवं राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 119 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 431 मीटर है।

परबतसर नगर चारों तरफ स्थित पहाड़ियों के बीच उबड़-खाबड़ जमीन पर बसा हुआ है। इस नगर के पश्चिम में पहाड़ी पर कैवाय माताजी का मन्दिर स्थित है, जो कि पश्चिमी हवाओं से आने वाले तुफान से नगर की रक्षा करता है, यहां का मौसम सुहावना एवं अनोखा है, सामान्यतया यहां न तो अधिक गर्मी एवं न ही अधिक सर्दी पड़ती है। यहां मध्य नवम्बर से फरवरी के शुरुआत तक सर्दियों का मौसम रहता है एवं वर्षा मुख्यतः जुलाई से सितम्बर के मध्य तक होती है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 650.00 मि.मी. है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :-

परबतसर ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

परबतसर में प्रथम नगरपालिका बोर्ड का गठन 1955 में हुआ। वर्तमान में परबतसर नगरपालिका का क्षेत्रफल लगभग 700 हैक्टेयर है। परबतसर पर्वत मालाओं के मध्य में स्थित है। इसके पूर्वी भाग में बांध तालाब, पश्चिमी भाग में खारीया तालाब, दक्षिणी-पूर्वी दिशा में पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि हैं। नगर का सामान्य ढाल उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम में हैं।

चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए होने के कारण इस शहर का नाम परबतसर रखा गया है। यहां से राज्य राजमार्ग-7 निकलता है, जिसके कारण यह नगर जिला मुख्यालय व जोधपुर होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पाकिस्तान की सीमा तक जुड़ा हुआ है। मेड़ता सिटी यहां से मात्र 100 कि.मी. दूरी पर है, जो मीरां बाई के मन्दिर के कारण प्रसिद्ध है। यहां से मात्र 40 कि.मी. दूरी पर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर एवं 66 कि.मी. की दूरी पर ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। परबतसर में वीर तेजाजी का भव्य मन्दिर स्थित है, जहां से वीर तेजाजी की कर्म भूमि यानि मारवाड़ में प्रवेश होता है। यहां पर प्रसिद्ध पशुओं का मेला, वीर तेजाजी पशु मेले के नाम से प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष (अगस्त-सितम्बर) में आयोजित होता है, जिसमें हजारों की तादाद में पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, यहां के ऊँट एवं बैल इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है परबतसर में बहादुर अली शाह पीर जी की दरगाह भी है, जो आस पास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, इस दरगाह की मानसिक रोगियों के ईलाज के कारण जनसामान्य में काफी मान्यता है।

धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नगर में लगभग 40 मन्दिर एवं 7 मस्जिदें हैं जिनमें दर्शनार्थी निरन्तर आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त नगर में नेहरू उद्यान एवं हनुमान कॉलोनी उद्यान स्थित हैं, जो कि नगर के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं के आमोद-प्रमोद के स्थान हैं। यहां किसी भी प्रकार के पुरातत्व के अवशेष नहीं हैं।

आधारभूत सुविधाओं के अभाव में परबतसर नगर औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। नगर के पश्चिम दिशा में विश्व प्रसिद्ध मार्बल की खदानें मकराना एवं बिदियाद में स्थित हैं, जहां मार्बल के वृहद्ध उद्योग स्थापित हैं। वर्तमान में बिदियाद मार्ग पर रीको द्वारा औद्योगिक ग्रोथ सेक्टर की स्थापना की जा रही है।

व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से यह नगर अन्य श्रमिकों का क्षेत्र है। यहां की अधिकतम जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसाय पर ही आश्रित है, जनसामान्य खेती एवं पशुपालन आधारित व्यवसाय करके ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहां रबी में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, जीरा व खरीफ में ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, मोठ इत्यादि फसलें उत्पादित होती हैं। यहां पर सिंचाई नलकुपों एवं सिंचाई विभाग के अधीन पीर जी के बांध के माध्यम से की जाती है। यहां पर मछली पालन का व्यावसाय भी स्थानीय निवासियों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत है।

2.3 ऐतिहासिक :-

परबतसर नगर की स्थापना को लेकर अलग-अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि परबतसर नगर का नामकरण परबतशाह जावर के नाम पर हुआ है जिसने वर्ष 1536 में इस नगर की स्थापना की थी। परबतशाह जावर की माँ को बलपूर्वक उनके पिता के घर भेज दिया गया था। जब वह अपने पिता के घर जा रही थी, तभी रास्ते में परबतशाह जावर का जन्म हुआ। जावर का नाम प्रायः लोग अलग-अलग तरीके से पुकारते हैं, जैसे जामवर, झावर, झांवर और जावेर इत्यादि। परबतशाह जावर को उनकी माँ ने पालपोस कर बड़ा किया। परबतशाह ने कुछ समय पास के गाँव गढ़पनवल में बिताने के बाद अपना कारोबार फैलाया। उनको मुगल दरबार में ऊँचा स्थान मिला। कुछ समय पश्चात् मुगल दरबार में परबतशाह का काम सराहा गया तथा उन्हें 'मोदी' के खिताब से नवाजा गया। अपने जीवनकाल में उन्होंने एक नगर की स्थापना की, बाद में जिसका नाम परबतसर पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नगर की स्थापना वर्ष 1836 में माहेश्वरी समाज के किसी विशेष वर्ग के द्वारा की गई थी। यह भी कहा जाता है कि चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए होने के कारण नगर का नाम परबतसर रखा गया। यहां पर वीर तेजाजी का भव्य मन्दिर स्थित है। परबतसर की सीमा से ही तेजाजी की कर्म भूमि यानि मारवाड़ में प्रवेश होता है। यहां पर बहादुर अली शाह वीर जी की दरगाह भी है जो आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। परबतसर में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक इमारत विद्यमान नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां पर पशुपालन विभाग द्वारा लोक देवता वीर तेजाजी का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर दराज क्षेत्रों से आये लोग पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं, जिससे स्थानीय पशुपालकों एवं किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

2.4 जनांकिकी

यहां प्रथम आम जनगणना वर्ष 1961 में की गई थी, परबतसर नगर में वर्ष 1981 में जहां मात्र 7376 जनसंख्या थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 10134 हो गई, इस दशक में वृद्धि दर 37.39 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या 13821 दर्ज की गई। वर्ष 2010 में उक्त नगर की जनसंख्या लगभग 18640 होने का आंकलन किया गया है। परबतसर का नगरीयकृत क्षेत्रफल 168 हैक्टेयर है जिसके अनुसार आधार वर्ष में जनसंख्या घनत्व 111 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। परबतसर नगर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, परबतसर 1961-2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि अन्तर	वृद्धि दर
1961	5081	—	—
1971	5774	693	13.64
1981	7376	1602	27.75
1991	10134	2758	37.39
2001	13821	3687	36.38
2010*	18640	4819	34.87

स्त्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं आंकलन *

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर में लिंगानुपात 845 है। यह अनुपात जिला मुख्यालय नागौर में (947) एवं राष्ट्रीय स्तर (933) तथा राज्य स्तर (921) से कम है।

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार परबतसर नगर में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता का अनुपात क्रमशः 29.87 एवं 28.35 प्रतिशत था। तालिका-2 दर्शाती है कि वर्ष 2001 में इस नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या में से 26.48 प्रतिशत मुख्य श्रमिक एवं 1.87 प्रतिशत सीमान्त श्रमिक दर्ज हैं। वर्ष 1991 में 70.13 प्रतिशत गैर श्रमिक थे जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 71.65 प्रतिशत हो गये। इससे यह प्रमाण मिलता है कि परबतसर नगर में गैर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। परबतसर नगर प्रशासनिक केन्द्र नहीं होने से यहां केवल 287 व्यक्ति जो कि वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या का 2.08 प्रतिशत है, विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे।

तालिका - 2
श्रमिक वर्गीकरण, परबतसर 1991-2001

श्रमिक	श्रमिकों की संख्या		प्रतिशत	
	1991	2001	1991	2001
मुख्य श्रमिक	2766	3660	27.29	26.48
सीमान्त श्रमिक	261	258	2.58	1.87
गैर श्रमिक	7107	9903	70.13	71.65
योग	10134	13821	100.00	100.00

स्त्रोत: जनगणना, भारत सरकार

परबतसर की व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में वर्ष 2001 में 85.58 प्रतिशत अन्य श्रमिक, 5.36 प्रतिशत काश्तकार एवं 1.71 प्रतिशत खेतीहर मजदूर तथा शेष 7.35 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में कार्यरत थे। इससे स्पष्ट होता है कि परबतसर में व्यवसाय एवं वाणिज्य ही व्यावसायिक संरचना का मुख्य आधार था। आधार वर्ष 2010 में सर्वेक्षण अनुसार 5777 कामगारों का अनुमान किया गया है जिसका अनुमानित जनसंख्या से सहभागिता अनुपात लगभग 31 प्रतिशत है। परबतसर नगर के अन्तर्गत इस वर्ष में 116 काश्तकार 116 खेतीहर मजदूर, 346 घरेलू उद्योग श्रमिक तथा 5199 अन्य श्रमिक होने का आंकलन किया गया है, जो कुल कामगारों का क्रमशः 2.00 प्रतिशत, 2.00 प्रतिशत, 6.00 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत है।

तालिका – 3
व्यावसायिक संरचना, परबतसर 1991–2010

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	308	11.13	210	5.36	116	2.00
2	खेतीहर मजदूर	412	14.90	67	1.71	116	2.00
3	घरेलू उद्योग श्रमिक	87	3.15	288	7.35	346	6.00
4	अन्य श्रमिक	1959	70.82	3353	85.58	5199	90.00
कुल		2766	100.00	3918	100.00	5777	100.00
सहभागिता अनुपात		27.29		28.35		31.00	
जनसंख्या		10134		13821		18640	

स्त्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं आंकलन*

2.6 विद्यमान भू – उपयोग :-

परबतसर नगरपालिका का कुल क्षेत्रफल 700 हैक्टेयर है, जिसमें से कुल 168 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकृत क्षेत्र एवं 95 हैक्टेयर विकसित क्षेत्र है, तथा शेष क्षेत्र, कृषि, रिक्त, जलाशय आदि के अन्तर्गत है। कुल विकसित क्षेत्र का 46.32 प्रतिशत आवासीय 3.16 प्रतिशत, व्यावसायिक 1.05 प्रतिशत, औद्योगिक 6.32 प्रतिशत,

राजकीय 3.16 प्रतिशत, आमोद-प्रमोद 14.73 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं 25.26 प्रतिशत, परिसंचरण क्षेत्र के अन्तर्गत है। नगर में आवासीय क्षेत्रों में सड़कें अनियोजित एवं टेढ़ी-मेढ़ी बनी होने के कारण आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। नगर के वार्ड संख्या 4, 5, 7, एवं 9 में सदर बाजार, रानी बाजार व बस स्टैण्ड बाजार इत्यादि स्थित हैं। औद्योगिक गतिविधियों में परबतसर पूर्णतया पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहां नगर के उत्तरी-पश्चिमी दिशा में बिदियाद को जाने वाले मार्ग पर लगभग 35 हैक्टेयर क्षेत्रफल में रीको का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसका ग्रोथ सेन्टर के रूप में आगे नरवां ग्राम तक विस्तार किया जा रहा है। राजकीय क्षेत्र में यहां केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय स्थित हैं। यहां उद्यान एवं स्टेडियम ही मनोरंजन हेतु उपलब्ध हैं। यहां पर धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों की उपलब्धता सन्तोषजनक है। विद्यमान भू-उपयोग 2010 का विवरण तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका - 4
विद्यमान भू-उपयोग, परबतसर-2010

क्र.सं.	भू - उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	44	46.32	26.19
2	वाणिज्यिक	3	3.16	1.79
3	औद्योगिक	1	1.05	0.60
4	राजकीय	6	6.32	3.57
5	आमोद-प्रमोद	3	3.16	1.78
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	14	14.73	8.33
7	परिसंचरण	24	25.26	14.29
कुल विकसित क्षेत्र		95	100.00	56.55
8	कृषि	5	—	2.98
9	रिक्त	67	—	39.88
10	जलाशय	1	—	0.59
कुल नगरीयकृत क्षेत्र		168	—	100.00

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.1. आवासीय

2.6.1. (अ) आवासन

परबतसर नगर को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है। भारतीय जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार यहां 2290 परिवार 2680 आवासों में तथा वर्ष 2010 में 4359 परिवार 3028 आवासों में निवास कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि परबतसर नगर में परिवारों के अनुपात में आवासों की उपलब्धता संतोषप्रद नहीं है। नगर में वार्ड संख्या 6, 10, 12, 13, एवं 14 का जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है। यहां वार्ड संख्या 6 का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नगर के समस्त वार्डों में आवासीय क्षेत्रों की बसावट में काफी भिन्नता है, पुराना नगर घना बसा हुआ है, तथा सड़कें घुमावदार व कम चौड़ी हैं, नगर में कहीं-कहीं इनकी चौड़ाई मात्र 3-5 मीटर ही है। जिसके कारण नगर के अंदरूनी भागों में निरन्तर यातायात की समस्या बनी रहती है, परबतसर के मध्य से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग-7 एवं राज्य राजमार्ग-21A पर विभिन्न शैक्षणिक, औद्योगिक, राजकीय, जनोपयोगी सुविधाएं एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के कारण नगर के व्यस्ततम मार्ग हैं, नगर के आवासीय क्षेत्रों से समस्त मुख्य सड़कें इन्हीं मार्गों से आकर मिलने अथवा निकलने के कारण, आवासीय क्षेत्रों पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है। जिसके कारण दुर्घटना घटित होने व यातायात अवरोधकता की समस्या बनी रहती है।

परबतसर नगर में आवासीय क्षेत्रों का विकास सुनियोजित रूप से नहीं होने के कारण यहां सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी एवं इन पर निर्मित भवनों में सैट बैक नहीं है। परबतसर नगर के आवासीय क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल निकास हेतु सम्पूर्ण नगर में नालियों एवं नालों की स्थिति भी ठीक नहीं है।

परबतसर नगर के अंदरूनी क्षेत्रों की जनसंख्या विस्तार हेतु स्थान की उपलब्धता कम होने के कारण लोगों का मानस धीरे-धीरे नगर के बाहरी क्षेत्रों में बसने का बनता जा रहा है। वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ 44 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है जो विकसित क्षेत्र का 46.32 प्रतिशत है।

2.6.1. (ब) कच्ची बस्तियां

परबतसर नगर में एक कच्ची बस्ती है। जो कि वार्ड नं. 12 में राजस्व भूमि पर स्थित है। इसमें लगभग 18 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इस कच्ची बस्ती में पक्की सड़क, नाली, व रोशनी की व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है। नगरपालिका द्वारा समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत कच्ची बस्ती में विकास कार्य

किये जाते हैं जिसमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रमुख है। वर्तमान में इस बस्ती में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, कच्ची बस्ती का विवरण तालिका-5 में दर्शाया गया है।

तालिका – 5

परबतसर नगर की कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित वर्ष 2004)

क्रम संख्या	कच्ची बस्ती का नाम	व्यक्ति	वार्ड संख्या
1	नट बस्ती	18	12

स्रोत: नगरपालिका, परबतसर

2.6.2. वाणिज्यिक

परबतसर नगर में घरेलू उपयोग की वस्तुओं का खुदरा व्यापार होता है। यहां वार्ड नं. 4, 5 व 9 में सदर बाजार, वार्ड नं. 7 में रानी बाजार एवं बस स्टैण्ड बाजार स्थित है। उपरोक्त समस्त बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियां, राज्य राजमार्ग-21A, सिविल न्यायाधीश कार्यालय, नगर पालिका, सब्जी मण्डी, बस स्टैण्ड, पशु चिकित्सालय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आस-पास संचालित हैं। यहां खुदरा बाजार के अलावा अन्य कोई सुनियोजित बाजार नहीं है। वर्तमान में यहां पार्किंग सुविधाओं का अभाव है। जिसके कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है।

परबतसर नगर में किसी प्रकार की ऐतिहासिक स्मारक नहीं होने के कारण यहां पर्यटकों की संख्या नगण्य है, यहां पर विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगने के कारण बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा होटल, घूमर होटल व नटराज होटल की सुविधा उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त नगर में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक, भूमि विकास बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक इत्यादि संचालित हैं।

वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में व्यावसायिक क्षेत्र 3 हैक्टेयर है जो कुल विकसित क्षेत्र का 3.16 प्रतिशत है।

2.6.3. औद्योगिक

परबतसर औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में नगर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में रीको द्वारा लगभग 35 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, के अतिरिक्त इसी क्षेत्र के समीप बिदीयाद

को जाने वाले मार्ग पर नरवां ग्राम तक औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर विकसित करने का कार्य प्रगति पर है उक्त औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित होने के कारण विद्यमान भू-उपयोग की गणना में नहीं लिया गया है।

जिला उद्योग केन्द्र नागौर से प्राप्त सूचना के अनुसार यहां पर कृषि पर आधारित 4, वन उपज पर आधारित 11, पशुधन पर आधारित 1, खनिज पर आधारित 4, अभियांत्रिकी आधारित 10 तथा अन्य उद्योगों से सम्बन्धित 10 औद्योगिक इकाइयां जिला उद्योग केंद्र से पंजीकृत हैं। इन इकाइयों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 98 हैं। वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र 1 हैक्टेयर है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 1.05 प्रतिशत है। परबतसर शहर के पश्चिम में 20 कि.मी. की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध मार्बल की खदानें मकराना एवं बिदियाद में स्थित हैं। यहां पर मार्बल के वृहद उद्योग स्थापित हैं।

तालिका – 6

पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, परबतसर-2010

क्रम संख्या	औद्योगिक इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की संख्या	इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	कृषि आधारित	4	8
2	वन उपज आधारित	11	25
3	पशुधन आधारित	1	2
4	खनिज आधारित	4	19
5	अभियांत्रिकी आधारित	10	23
6	वस्त्र उद्योग आधारित	—	—
7	रसायन आधारित	—	—
8	अन्य	10	21
योग		40	98

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, नागौर

2.6.4. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

वर्तमान में परबतसर में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत केवल 6 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आ रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.32 प्रतिशत है। परबतसर में कुल 19 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार के 4 कार्यालयों में वार्ड नं. 15 में रेलवे स्टेशन, वार्ड

नं. 7 में डाकघर व दूरभाष केन्द्र एवं वार्ड नं. 12 में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय स्थित हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के कुल 10 कार्यालयों के अन्तर्गत वार्ड नं. 12 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, वार्ड नं. 14 में उप खण्ड एवं तहसील, वार्ड नं. 15 में ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर डी.पी.ई.पी, आबकारी व उप-कोष अधिकारी के कार्यालय स्थित हैं। राज्य के अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में वार्ड नं. 7 में बिदियाद रोड़ पर नगर पालिका, वार्ड नं. 12 में पंचायत समिति, अजमेर विद्युत वितरण निगम, व वार्ड नं. 13 में कृषि मण्डी कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यालय संचालित हैं। उपरोक्त समस्त कार्यालयों में लगभग 287 कर्मचारी कार्यरत हैं। तालिका-7 में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों का विवरण दिया गया है।

तालिका - 7
सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, परबतसर-2010

क्र.सं.	कार्यालय की श्रेणी	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार	4	19
2	राज्य सरकार	10	152
3	अर्द्ध सरकारी	5	116
योग		19	287

स्त्रोत: सर्वेक्षण

2.6.5. आमोद-प्रमोद

वर्तमान में परबतसर में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत केवल 3.00 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 3.16 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिए कम भूमि होना यहां पर इन साधनों की कमी का होना दर्शाता है। परबतसर में वार्ड नं. 2 में दो नगर स्तरीय उद्यान, नेहरू उद्यान व हनुमान कॉलोनी उद्यान हैं, जो कि यहां के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं के आमोद प्रमोद के स्थान हैं। परबतसर नगर में गणेश मन्दिर के पास नेताजी सुभाष चन्द्र स्टेडियम स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.31 हैक्टेयर है, इस स्टेडियम में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। यहां खारीया तालाब के समीप एक मेला मैदान है जहां प्रतिवर्ष पशुपालन विभाग द्वारा वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है।

2.6.6. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 14 हैक्टेयर भूमि

आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 14.73 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

2.6.6. (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

परबतसर नगर के विकास के साथ-साथ यहां शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, यहां पर आस-पास के गांवों के अनेक विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। यहां पर कुल 17 सरकारी एवं 14 निजी विद्यालयों के अतिरिक्त 2 महाविद्यालय स्थित हैं, जिनमें से 1 महाविद्यालय सीमा मेमोरियल कॉलेज परबतसर के नाम से भारतीय खाद्य निगम के समीप संचालित है। परबतसर में शैक्षणिक संरचना 2010 को तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका – 8
शिक्षा संरचना, परबतसर-2010

क्र.सं.	विद्यालयों के प्रकार	आयु समूह	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की संख्या
1	प्राथमिक	5-10	2642	13	203
2	उच्च प्राथमिक	11-13	2303	12	192
3	माध्यमिक उच्च माध्यमिक	14-17	2332	6	389
योग			7277	31	235

स्रोत: शिक्षा विभाग, परबतसर

उपरोक्त तालिका के अनुसार परबतसर में 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, 12 उच्च प्राथमिक, एवं 13 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां पर समस्त शिक्षण संस्थाओं में 7277 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। परबतसर में कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्थान संचालित नहीं है।

2.6.6. (ब) चिकित्सा सुविधाएं

परबतसर नगर में वार्ड न. 14 में गांधी सर्किल के समीप एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 50 शैया के अतिरिक्त आपात-कालीन परिस्थितियों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड न. 14 में डॉ. बी. एल सोलंकी निजी चिकित्सालय स्थित है, जिसमें 15 शैया की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार यहां पर कुल 65 शैया की सुविधा उपलब्ध है जिसका औसत 4 शैया प्रति हजार व्यक्ति है। राजकीय चिकित्सालय में

वर्तमान में कुल 35 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 28 पदों पर चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। यहां वार्ड नं 12 मे किशनगढ़ रोड़ पर एक आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। उपरोक्त समस्त चिकित्सा सुविधाएं 0.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित है। वर्तमान में परबतसर नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को तालिका-9 में दर्शाया गया है।

तालिका - 9
चिकित्सा सुविधाएं, परबतसर-2010

क्रम संख्या	चिकित्सा सुविधा	संख्या	उपलब्ध शैया
1	राजकीय चिकित्सालय	1	50
2	निजी चिकित्सालय	1	15
3	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	—
4	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	—
योग		4	65

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.6. (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

राजस्थान के हृदय स्थल के नाम से विख्यात परबतसर नगर सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

परबतसर नगर सभी सम्प्रदायों की स्थली है, यहां हिन्दुओं एवं मुस्लिम समुदायों के अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं, यहां लगभग 40 मन्दिर एवं 7 मस्जिदें हैं। परबतसर से मात्र 40 कि.मी. की दूरी पर तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक मास में भरने वाले मेले में लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, यहां ऊँट और बैल की खरीद फरोख्त होती है। परबतसर नगर के समीप 7 कि.मी दूरी पर कैवाय माताजी का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। जहां प्रतिवर्ष चैत्र एवं आसोज मास में नवरात्रा के समय हजारों दर्शनार्थी आकर, माताजी के दर्शनों के लाभ पाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां से 100 कि.मी की दूरी पर मेड़ता सिटी में विश्वप्रसिद्ध मीरां बाई का मन्दिर एवं मात्र 66 कि.मी. की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। परबतसर में वीर तेजाजी का भव्य मन्दिर स्थित है, जहां से वीर तेजाजी की कर्म भूमि यानि मारवाड़ में प्रवेश होता है तथा यहां पर बहादुर अली शाह पीर जी की दरगाह भी है जो आस पास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहां से 15 कि.मी की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल की खदानें हैं, यहां के मार्बल से बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज

की यादगार मे आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था।

2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

परबतसर नगर में वार्ड नं. 7 मे डाकघर, वार्ड नं. 12 में किशनगढ़ रोड़ पर दूरभाष केन्द्र व पुलिस थाना की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड नं. 7 मे सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह एवं वार्ड नं. 3 मे मंत्री धर्मशाला, इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। यहां पर कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है। नगर का निकटतम अग्निशमन सेवा केन्द्र 22 कि.मी. की दूरी पर मकराना में स्थित है। परबतसर में सार्वजनिक अथवा अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई क्लब, संस्था अथवा अन्य कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है, परन्तु अन्य सुविधाओं में यहां पर माहेश्वरी भवन, दाधिच भवन, किसान छात्रावास, फूलमालिया छात्रावास, जयमल छात्रावास व समाज कल्याण छात्रावास स्थित है। यहां पर दो स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक सेवा समिति एवं गोपाल मां सेवा समिति हैं। जिनके द्वारा नगर में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नागरिक जागरूकता हेतु समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते है।

2.6.6. (य) जनोपयोगी सुविधाएं

जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल-मल निस्तारण एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की सुविधा नगर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सुविधाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है :-

2.6.6. (य)(i) जलापूर्ति

परबतसर नगर में 14 सार्वजनिक नलकूप हैं। परबतसर नगर में पीने के पानी की पूर्ति हुलढाणी से की जाती है, जो नगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर पीने के पानी में फ्लोराईड की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से अधिक होने के कारण नगरवासियों में अनेक बीमारियां पनपती है, जिसमें सुधार हेतु पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक प्लांट लगाया जाना चाहिए। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 2 ओवरहेड टैंक निर्मित है जिनकी कुल क्षमता 440 किलोलीटर है। इसके अतिरिक्त यहां पर 5 सी0डब्ल्यू0आर0 टैंकों का निर्माण किया गया है जिनकी कुल क्षमता 670 किलोलीटर है। नगर में 2281 आवासीय, 130 व्यावसायिक एवं 5 औद्योगिक कनेक्शन हैं। वर्तमान परबतसर नगर में कुल 2416 कनेक्शनों के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर जलापूर्ति की जाती है। नगर की जलापूर्ति को तालिका 10 में दर्शाया गया है।

तालिका – 10
जलापूर्ति, परबतसर – 2010

क्र.सं.	जलापूर्ति कनेक्शन की किस्म	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	2281
2	व्यावसायिक	130
3	औद्योगिक	5
	योग	2416

स्रोत: जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, परबतसर

2.6.6. (य)(ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

परबतसर नगर में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। यहां पर गन्दे पानी की निकासी के लिए खुली नालियों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिदिन नगरपालिका द्वारा साफ करवायी जाती हैं। नगर में जल-मल निकास की व्यवस्था उचित नहीं होने के कारण रास्तों एवं सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है। घरों में मल निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक बने हुए हैं परन्तु कच्ची बस्ती में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कच्ची बस्ती के निवासी खुले में शौच जाते हैं। वर्तमान में नगर में ठोस कचरा प्रबन्धन नहीं है। नगर का समूचा कचरा नगरपालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है एवं नगर से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित खुले क्षेत्रों में डाला जाता है। परबतसर में अभी वैज्ञानिक विधि द्वारा कचरा निस्तारण स्थल का निर्माण नहीं कराया गया है।

2.6.6. (य)(iii) विद्युत आपूर्ति

परबतसर नगर में विद्युत आपूर्ति वार्ड नं. 1 में स्थित 33/11 केवीए ग्रिड सब स्टेशन से की जाती है। यहां विद्युत उपलब्धता की कमी के कारण प्रतिदिन आवश्यकतानुसार लगभग 4 घण्टों के लिए बिजली कटौती होती है।

नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता है। वर्ष 2010 में नगर में विद्युत कनेक्शनों की संख्या को तालिका-11 में दर्शाया गया है।

तालिका – 11
विद्युत आपूर्ति, परबतसर-2010

क्रम संख्या	उपयोग की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	3209
2	व्यावसायिक	457
3	औद्योगिक	45
	योग	3711

स्रोत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, परबतसर

2.6.6. (य)(iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान

परबतसर नगर में मुक्तिधाम व राजीराव मुक्ति धाम के नाम से 2 श्मशान गणेश मन्दिर व छिपोलाई तालाब के पास लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 कब्रिस्तान गणेश मन्दिर व खारीया तालाब के पास 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित हैं।

2.6.7. परिसंचरण

परबतसर नगर के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहां यातायात साधनों के सुगमता की आवश्यकता हैं, अभी यह नगर केवल सड़क माध्यम से अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है।

2.6.7. (अ) यातायात व्यवस्था

परबतसर राज्य राजमार्ग-7 एवं राज्य राजमार्ग-21A पर स्थित है, जो कि परबतसर को मुख्य रूप से कुचामनसिटी, गिंगोली, नागौर, मकराना, रूपनगढ़ एवं पीपाड़ इत्यादि नगरों/ग्राम से जोड़ते हैं, समस्त मार्ग नगर के मध्य से निकलने एवं नगर के अन्दर अतिक्रमण होने से इनकी चौड़ाई कम होने के कारण यातायात व्यवस्था में बाधा रहती है।

राज्य राजमार्ग-7 इस नगर का महत्वपूर्ण मार्ग है जो किशनगढ़ से कुचामनसिटी की ओर नगर के मध्य से होकर गुजरता है, इस मार्ग पर भारी यातायात का दबाव होने के कारण वर्तमान में नगर के पूर्वी दिशा में बाईपास का निर्माण किया गया है। नगर के मध्य से गुजरने वाले इस मार्ग पर वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, भारतीय खाद्य निगम, कृषि मण्डी, बाल विकास विभाग, राजकीय चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, व्यवसाय इत्यादि गतिविधियां संचालित होने के कारण यह मार्ग अति व्यस्त रहता है, जिससे नगर में निरन्तर यातायात दबाव बना रहता है।

यहां पर नगरपालिका कार्यालय से रानी बाजार सड़क 8-10 मीटर, गांधी सर्किल से तहसील कार्यालय मार्ग लगभग 12 मीटर, गांधी सर्किल से गणेश द्वार 10-12 मीटर, गणेश कॉलोनी सड़क 15 मीटर, नगर पालिका कार्यालय से पीरजी नाका सड़क 10-12 मीटर की चौड़ाई में उपलब्ध होने व इन सड़कों पर अतिक्रमण होने के कारण स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परबतसर के मुख्य मार्गों में किशनगढ़-मकराना रोड़ के अतिरिक्त गांधी चौराहे से गिंगोली रोड़, सब्जी मण्डी, रेलवे स्टेशन से गांधी सर्किल, बिदियाद रोड़

पुलिया से लेकर वीर तेजा जी मन्दिर, अम्बेडकर भवन से पीपलाद रोड़ श्मशान घाट होते हुए नगर की सीमा तक एवं पुराने पुलिस थाना से गऊशाला होते हुए पीपलाद रोड़ तक के समस्त मार्गों को वर्तमान यातायात व होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मौका स्थिति के अनुसार चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

नगर में उपरोक्तानुसार सड़कों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। यहां पर सुनियोजित पार्किंग सुविधा का सर्वथा अभाव है, नगर के व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़कें कम चौड़ी व पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण सदैव ट्रेफिक जाम की समस्या बनी रहती है।

2.6.7. (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

परबतसर नगर में बसों के आवागमन नियंत्रण हेतु बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध है। यहां समस्त बसों का संचालन वार्ड नं. 7 में स्थित बस स्टैण्ड द्वारा किया जाता है। वर्तमान में परबतसर नगर से प्रतिदिन लगभग 170 बसों का संचालन किया जाता है। जिसमें से लगभग 75 बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एवं 95 बसों का संचालन निजी संचालकों द्वारा विभिन्न मार्गों पर किया जाता है। यहां मुख्य रूप से जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार, श्रीगंगानगर, मकराना, चूरू, रावतसर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, कुचामन, चिड़ावा व अन्य आस-पास के राजस्व ग्राम मार्गों पर बसें संचालित होती हैं।

परबतसर में कोई ट्रक स्टैण्ड/टर्मिनल नहीं है तथा भारी वाहन नगर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरते हैं। यद्यपि परबतसर में राज्य राजमार्ग-7 पर बाई पास बनने के कारण भारी वाहनों से नगर में यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। परन्तु फिर भी दिन के समय यातायात की समस्या बनी रहती है। यहां पर आने व जाने वाली समस्त ट्रक ट्रांसपोर्ट (माल वाहक) हेतु किसी भी एजेंसी द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है, वर्तमान में यहां प्रतिदिन लगभग 60 वाहन, जिनमें मुख्य रूप से ट्रक, मिनी ट्रक, जीप, कार व ट्रेक्टर ट्रौली, के माध्यम से माल परिवहन सेवा के अन्तर्गत नगर से होकर गुजरते हैं।

2.6.7. (स) रेल एवं हवाई सेवा

परबतसर में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, वर्तमान में यहां से रेल यात्री सेवाएं बन्द हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा 119 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर में स्थित है।

3

नियोजन की संकल्पना

मानव के समूह में एक साथ रहने की कला, सभ्यता का एक सूचक रही है। हालांकि पूर्व काल से ही सामाजिक गतिविधियों, पूजा-अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं तथा नगरों की स्थापना अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च स्थल रहा है, जो उपयोग एवं उपभोग स्थल बना रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है, अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अनुकूलतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग में सामाजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करता है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करता है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के सन्दर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन-आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की

स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। परबतसर नगर का मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां

योजना की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में विकास न केवल सही दिशाओं एवं स्थलों पर हो, परन्तु यह एक सफल समुदाय की संरचना कर सके, उन्हें एक पहचान दे सके तथा साथ-साथ रहने, जीवनयापन करने व आवागमन हेतु स्थल प्रदान कर सके।

यह वर्तमान एवं आने वाले समय में समुदायों के आपसी प्रयत्नों पर निर्भर करता है। योजना की प्रक्रिया इन प्रयत्नों में योगदान कर सकती है, जैसे कि समुचित स्तर की जन एवं सामुदायिक सुविधाएं, सही स्थल को सुनियोजित करना, एक स्थल पर वे सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि उनकी एक अलग पहचान बन सके तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त सुविधाओं का भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भली-भांति जुड़ाव हो सके एवं वर्तमान समुदायों के साथ भी तालमेल बना रहे।

उपरोक्त वैचारिक पृष्ठ भूमि के दृष्टिगत परबतसर का मास्टर प्लान तैयार किया जाना निश्चित किया गया। मास्टर प्लान बनाने से पूर्व परबतसर की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उनसे जनित अवसरों एवं उनके द्वारा रेखांकित सीमाओं को समझा गया। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों एवं आने वाले 20 वर्षों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में परबतसर की भू उपयोग योजना तैयार करने के लिए परबतसर के निवासियों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श कर उनके सहयोग से नियोजन के सिद्धान्त तय किये गये।

परबतसर एक कृषि प्रधान नगर है, जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसाय पर निर्भर है। परबतसर की व्यावसायिक, आर्थिक, धार्मिक एवं भौगोलिक स्थिति के कारण इस नगर की भावी विकास की कल्पना धार्मिक, पर्यटन स्थल एवं व्यावसायिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अतः मास्टर प्लान में प्रेरित नगरीय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए भविष्य में परबतसर का व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होना निश्चित है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपर्युक्त नीतियों के सन्दर्भ में मास्टर प्लान को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निम्नानुसार नियोजन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जो कि परबतसर के वर्ष 2031 तक के भू-उपयोग योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन करेगा।

1. परबतसर के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केन्द्र मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।
2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि नये क्षेत्रों एवं पुराने नगर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामंजस्य बना रहे।
3. सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास नगर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए।
4. नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
5. राजकीय और अर्द्ध-राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
6. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि नगर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी।
7. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं। वायु की दिशा के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें। इस प्रकार के छोटे नगरों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिए।
8. नगर के विभिन्न मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय नगरीय यातायात से मिश्रित नहीं होने दिया जाना चाहिए। नगर में उचित स्थान पर बस स्टैण्ड एवं ट्रक टर्मिनल विकसित किये जाने चाहिए।

9. प्राकृतिक स्थल, तालाबों एवं पर्यटन आकर्षण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिए।
10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्य क्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
11. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि की ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
12. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी होनी चाहिए, जिससे स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अनियोजित विकास की प्रक्रिया को रोका जा सके।
13. पुराने क्षेत्रों में जहाँ सड़कें संकरी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहाँ पर नई निर्माण/पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी हो। साथ ही यहां पर यातायात प्रबन्धन भी बेहतर किया जाना चाहिए।
14. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान प्रस्तावित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
15. अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
16. योजनाओं में छोड़े गये उद्यानों के विकास एवं पौधारोपण हेतु अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नालों के सहारे उस क्षेत्र में जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन पौधारोपण किया जाना चाहिए।
17. परबतसर में औद्योगिक वातावरण हेतु सभी आधारभूत सुविधाएं यथा सड़क, पानी, विद्युत व पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अतः औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

4

भावी आकार

वर्ष 2010 में परबतसर की जनसंख्या 18640 होने का आंकलन है तथा क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 37430 होने का अनुमान है। मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में परबतसर सहित 9 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 12582 हैक्टेयर है। वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र 168 हैक्टेयर है जिसमें से विकसित क्षेत्र 95 हैक्टेयर है। आधार वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या घनत्व 111 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का आंकलन किया गया है।

परबतसर नगर राज्य के मध्य भाग में स्थित है। वर्तमान में लगभग सभी गतिविधियां नगर के भीतर ही संचालित होती रही हैं। गत कुछ वर्षों से नगर का राज्य राजमार्ग-7 एवं राज्य राजमार्ग-21-A के आसपास विकास शुरू हो गया है। मुख्यतः राज्य राजमार्ग-7 पर परबतसर में वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, भारतीय खाद्य निगम, कृषि मण्डी, बाल विकास विभाग, राजकीय चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि राजकीय, शैक्षणिक, गतिविधियों के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हैं। इस प्रकार नगर का अधिकतम विकास राज्य राजमार्ग-7 व राज्य राजमार्ग-21-A पर हो रहा है। परबतसर नगर का विकास चारों दिशाओं में समान रूप से वर्तमान में विकसित हो चुके नगर में काफी तादाद में उपलब्ध रिक्त स्थलों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। राज्य राजमार्ग-7 एवं राज्य राजमार्ग-21-A नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के पूर्वी दिशा में बनाये गये बाईपास के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए नगर के चारों तरफ रिंग रोड प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित रिंग रोड पर नगर के उत्तरी-पूर्वी परिक्षेत्र में बाईपास की ओर जाने वाले मार्ग पर टेक्सी स्टैण्ड व राज्य राजमार्ग-7 एवं रिंग रोड के जंक्शन पर बस स्टैण्ड प्रयोजनार्थ स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप औद्योगिक क्षेत्र एवं रिंग रोड पर नई धान मण्डी, भण्डारण एवं गोदाम सहित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। नगर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित खारिया तालाब वाले क्षेत्र में स्थित मेला

मैदान में पशु मेला भरता है। अतः नगर के इस भाग में मेला मैदान, जनोपयोगी एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के दक्षिणी-पूर्वी भाग में पर्वत एवं अन्य तालाब स्थित होने के कारण इस भाग के विकास एवं विस्तार की संभावनाएं कम आंकी गई है। इस प्रकार नगर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपर्युक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र, योजना क्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर भू-उपयोग योजना-2031 तैयार की गई है।

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1981 में परबतसर नगर की जनसंख्या मात्र 7376 थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 10134 हो गई। इस दशक में वृद्धि दर 37.39 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में जनसंख्या 13821 हो गई जिसकी वृद्धि दर 36.38 प्रतिशत दर्ज की गई। आधार वर्ष 2010 में जनसंख्या लगभग 18640 होने का आंकलन किया गया है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में परबतसर का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस नगर की जनसंख्या 37430 तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि एवं आप्रवास को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1981 से 2031 तक के लिए परबतसर की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को तालिका-12 में दर्शाया गया है:—

तालिका-12

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, परबतसर 1981-2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि अन्तर	वृद्धि दर
1981	7376	—	—
1991	10134	2758	37.39
2001	13821	3687	36.38
2010*	18640	4819	34.87
2021*	26855	8215	44.07
2031*	37430	10575	39.38

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

4.2 व्यावसायिक संरचना

क्षितिज वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विकास को ध्यान में रखकर आंकी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 35.00 प्रतिशत होगा। जबकि यह पूर्व के दशकों में यह 31.00 प्रतिशत एवं 28.35 प्रतिशत रहा है। तालिका-13 में व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है:-

तालिका-13

अनुमानित व्यावसायिक संरचना, परबतसर 2001 – 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010*		2031*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	210	5.36	116	2.00	262	2.00
2	खेतीहर मजदूर	67	1.71	116	2.00	262	2.00
3	घरेलू उद्योग श्रमिक	288	7.35	346	6.00	917	7.00
4	अन्य श्रमिक	3353	85.58	5199	90.00	11660	89.00
कुल		3918	100.00	5777	100.00	13101	100.00
सहभागिता अनुपात		28.35		31.00		35.00	
जनसंख्या		13821		18640		37430	

स्रोत: जनगणना एवं अनुमान*

क्षितिज वर्ष 2031 में यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ-साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों में बढ़ेगा, तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि होगी। उपरोक्त तालिका अनुसार

आधार वर्ष 2010 से क्षितिज वर्ष 2031 में काश्तकार श्रमिकों में कमी तथा अन्य श्रमिकों में वृद्धि का अनुमान किया गया है। वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में 2 प्रतिशत काश्तकार, 2 प्रतिशत खेतीहर मजदुर अन्य श्रमिक तथा 7.00 घरेलू उद्योगों में तथा 89 प्रतिशत अन्य श्रमिक कार्यरत होने का अनुमान किया गया है।

4.3 नगरीय क्षेत्र

परबतसर का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (i) के अन्तर्गत परबतसर नगर सहित 9 राजस्व ग्रामों को परबतसर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10 (156) न.वि.वि. 3/2010 दिनांक 26.07.2010 अधिसूचना जारी की गई है। उक्त नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 12582 हैक्टेयर है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से लगते हुए समुचित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी हेतु रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। अधिसूचित ग्रामों में परबतसर, गिंगोली, श्यामपुरा, डारापुरा, खेदरपुरा, नड़वा, मालास-गुसाईयाँ, पीपलाद, मेहगाव राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना परिशिष्ट-3 में अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

जनांकिकी अनुमान के अनुसार परबतसर की जनसंख्या वर्ष 2031 में 37430 होने की संभावना है। नगर की, 2010 में जनसंख्या 18640 होने का आंकलन किया गया है। इस प्रकार योजना अवधि में जनसंख्या में कुल 18790 की वृद्धि आंकलित की गई है। भविष्य में विकास हेतु पर्याप्त आवासीय क्षेत्र, कार्य स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिए लगभग 722 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य भूमि की आवश्यकता होगी। इससे जनसंख्या घनत्व अनुमानतः 52 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगा।

वर्तमान में लगभग 168 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकृत है। वर्ष 2031 तक लगभग 722 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकरण योग्य होने का अनुमान है, जिसमें से कुल 683 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित होने की संभावना है।

4.5 योजना क्षेत्र

परबतसर के मास्टर प्लान हेतु प्रस्तावित योजना क्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोध, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य सम्बन्धों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र में आवास, बाजार एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को तालिका-14 में दर्शाया गया है:-

तालिका-14

योजना क्षेत्र, परबतसर - 2031

क्रम संख्या	योजना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
अ	पूर्वी योजना परिक्षेत्र	231
ब	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	130
स	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	341
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	702
द	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	11860
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	12562

4.5.1 (अ) पूर्वी योजना परिक्षेत्र

यह योजना क्षेत्र नगर में से गुजर रहे राज्य राजमार्ग-7 के पूर्वी दिशा में स्थित है। इस परिक्षेत्र के उत्तर व पश्चिम में कुचामन सिटी की ओर जाने वाला राज्य राजमार्ग-7, पूर्व में प्रस्तावित रिंग रोड़, दक्षिण में प्रस्तावित रिंग रोड़ व राज्य राजमार्ग-7 के मध्य भाग का क्षेत्र स्थित है। इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 231 हेक्टेयर है। इस परिक्षेत्र में नगरपालिका के वार्ड संख्या 12 (आंशिक), 13 व 14 स्थित है। इस परिक्षेत्र से गुजर रहे राज्य राजमार्ग-7 पर विभिन्न राजकीय कार्यालय यथा, उप खण्ड, तहसील, बाल विकास, कृषि मण्डी, पुलिस थाना, पशु चिकित्सालय इत्यादि स्थित हैं। इस परिक्षेत्र में निजी क्षेत्र में संचालित सोलंकी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं के अन्तर्गत रायल एकेडमी स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोकरो का बास, के अतिरिक्त यहां पर शिव मन्दिर, बाला जी मन्दिर, चित्रकूट विवाह स्थल, व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। नगर के इस परिक्षेत्र से कुचामन सिटी, गिंगोली, रूणिचा, किशनगढ़, इत्यादि

नगरों/ग्रामों को जाने वाले मार्गों के अतिरिक्त नगर के पूर्वी दिशा से राज्य राजमार्ग-7 का बाईपास गुजरता है, जिसके कारण नगर में प्रवेश करने वाले भारी यातायात से नगर को काफी राहत मिली है। इस परिक्षेत्र के पूर्वी दिशा में बांध तालाब स्थित होने के कारण मछली पालन व सिंचाई सुविधा हेतु पानी उपलब्ध है।

इस परिक्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त स्थलों एवं प्रस्तावित रिंग रोड पर आवासीय प्रयोजनार्थ स्थल प्रस्तावित करने के साथ-साथ जनोपयोगी, सामुदायिक, शैक्षणिक सुविधाओं व वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु पर स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5.2 (ब) दक्षिणी योजना परिक्षेत्र

यह योजना क्षेत्र राज्य राजमार्ग-7 के पश्चिम की ओर एवं पश्चिम में खारिया तालाब से पूर्व की ओर विद्यमान सड़क के मध्य में स्थित है। जिसमें राज्य राजमार्ग-21A मध्य में से गुजरता है। इस क्षेत्र के दक्षिण में प्रस्तावित रिंग रोड स्थित है। इस परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 130 हैक्टेयर है। इस योजना परिक्षेत्र में पुराने नगर का दक्षिणी दिशा का भाग जो सम्पूर्ण नगर का लगभग 60 प्रतिशत है स्थित होने के कारण यह भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र है, जिसमें सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण आये दिन स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस परिक्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 2 (आंशिक), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एवं 12 इत्यादि स्थित हैं। नगर के इस परिक्षेत्र में एवं इसके दक्षिणी-पूर्वी भाग में पशु चिकित्सालय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गौशाला, शैक्षणिक संस्थानों में, वीर तेजाजी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं. 4, शारदा पब्लिक स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केशव एकेडमी स्कूल, मदरसा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 5, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी सैकण्डरी स्कूल के अतिरिक्त राजकीय कार्यालयों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पंचायत समिति, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. एवं पुलिस थाना इत्यादि संचालित हैं। इस परिक्षेत्र में धार्मिक व अन्य सामुदायिक सुविधाओं में मन्दिर, मस्जिद, चित्रकूट विवाह स्थल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम व श्मशान एवं कब्रिस्तान भी स्थित हैं। यहां औद्योगिक गतिविधियों में एक कांच फैक्ट्री संचालित है।

इस परिक्षेत्र में तालाब एवं नाला इत्यादि स्थित होने तथा दक्षिणी-पूर्वी दिशा में पहाड़ी स्थित होने के कारण इस परिक्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं कम आंकी गई है। नगर के इस भाग में से किशनगढ़, पीपलोद, मालास गुसाईयाँ इत्यादि

नगरों/ग्रामों को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं। भविष्य में विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस परिक्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक ईकाई के समीप मध्यम व लघु उद्योगों हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ, थोक व्यापार, राज्य राजमार्ग-7 पर राजकीय प्रयोजनार्थ व राज्य राजमार्ग-21A पर जनोपयोगी, व्यावसायिक, शैक्षणिक व सामुदायिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5.3 (स) पश्चिमी योजना परिक्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में खारिया तालाब के पूर्व में विद्यमान सड़क के साथ-साथ चलते हुए उत्तर में रेलवे स्टेशन तथा राज्य राजमार्ग-7 के पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। इस परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 341 हैक्टेयर है। इस परिक्षेत्र में पुराने नगर का उत्तरी दिशा का भाग जो सम्पूर्ण विकसित क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत है, स्थित होने के कारण यह अत्याधिक भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस परिक्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 1, 2, 6, 7 एवं 15 स्थित है। इस परिक्षेत्र में यहां पर प्रसिद्ध वीर तेजा जी का मेला स्थल विद्यमान होने के कारण यह नगर का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिविल न्यायाधीश, न्यायालय, नगरपालिका कार्यालय के अतिरिक्त धार्मिक स्थलों में बालाजी मन्दिर, शिव मन्दिर, रघुनाथ जी मन्दिर, हजरत मोलन पीर दरगाह, ईदगाह मस्जिद इत्यादि स्थित हैं। इस परिक्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में काबरा राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। परिक्षेत्र के इस भाग के उत्तरी-पश्चिमी दिशा में रीको द्वारा बिदियाद रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस परिक्षेत्र में खारिया तालाब के आस-पास हर वर्ष इस क्षेत्र का विख्यात पशु मेला भरता है, जिसमें आस-पास के ग्रामों व स्थानीय निवासियों द्वारा तालाब की मेढ के साथ-साथ से लेकर बिदियाद की ओर जाने वाली सड़क पर अस्थाई दुकानें संचालित की जाती हैं, इस मेले में पशुओं की खरीद-फरोख्त की जाती है। इस परिक्षेत्र में से बिदियाद, मानण, मालास गुसियाण इत्यादि राजस्व ग्रामों को जाने वाले मार्ग एवं मकराना की ओर जाने वाली रेलवे लाईन गुजरती है।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र, कृषि/सब्जी मण्डी, भण्डारण एवं गोदाम, ट्रक टर्मिनल, मेला मैदान, राजकीय शैक्षणिक व व्यावसायिक शैक्षणिक के अतिरिक्त जनोपयोगी, स्टेडियम, अन्य सामुदायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5.4 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का यह भाग, जो नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है, को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हॉउस, मौंटैल, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे सम्बन्धित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरीय विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11860 हैक्टेयर है।

5.

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना नगर नियोजन की विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर नगर के विस्तार हेतु तैयार की गई भावी योजना है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की गई है तथा नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शाई गई है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग के लिए उपयुक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2010 में भू-उपयोग में कमी/अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल में आंकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 683 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 48.17 प्रतिशत आवासीय, 6 प्रतिशत वाणिज्यिक, 12.01 प्रतिशत औद्योगिक, 2.2 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय), 8.49 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 8.93 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 14.2 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका-15 में दर्शाया गया है:-

तालिका-15
प्रस्तावित भू-उपयोग, परबतसर-2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	317	47.81	45.16
2	वाणिज्यिक	36	5.43	5.13
3	औद्योगिक	79	11.92	11.25
4	राजकीय	15	2.26	2.14
5	आमोद-प्रमोद	58	8.75	8.26
6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	61	9.20	8.69
7	परिसंचरण	97	14.63	13.82
कुल विकास योग्य क्षेत्र		663	100	94.45
8	कृषि	2		0.28
9	तालाब इत्यादि	37		5.27
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		702		100

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि ताकि यहां स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे। लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। नगर के पुराने भाग में आवासीय घनत्व 251 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 126-250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर अनुमानित किया गया है। इसके साथ-साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

परबतसर में जो कच्ची बस्ती बसी हुई हैं, उसमें सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। आधार वर्ष 2010 में परबतसर में विकसित क्षेत्र का 46.32 प्रतिशत अर्थात् 44 हैक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। जिसका आवासीय जनसंख्या घनत्व 424 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 114 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2010 की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 120 हैक्टेयर क्षेत्र की कमी का आंकलन किया गया है। वर्ष 2010–2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 165 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इस आधार पर क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 317 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1.1 आवासन

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सार्वधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि नगरपालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि नियोजित ढंग से लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1.2 अनौपचारिक सैक्टर के लिए आवास

नगर के पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। पुनर्स्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जाएगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुनर्विकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहां झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची-बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

परबतसर में वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय

चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं में अनौपचारिक वर्ग हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जाएंगे।

5.1.3 कच्ची बस्तियां

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएं तथा विद्यमान कच्ची बस्ती के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार समयबद्ध कार्यक्रम में किया जाए।

5.2 वाणिज्यिक

परबतसर वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक नगर की कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत की दर से 13101 व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों यथा काश्तकार, खेतीहर मजदूर, घरेलू उद्योग में कार्यरत श्रमिक एवं अन्य श्रमिक कार्यरत रहेंगे।

परबतसर में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशको में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य रूप से आंतरिक भाग में राज्य राजमार्ग-7 राज्य राजमार्ग-21A एवं नगर से गंगोली व वार्ड नं. 4 के मध्य स्थित मार्ग राजास को जाने वाले मार्ग पर केन्द्रित है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियां की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज उपलब्ध हो सके। आधार वर्ष 2010 में घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिकों की श्रेणी में 5545 व्यक्ति कार्यरत हैं, जो क्षितिज वर्ष में 12577 व्यक्ति होने की सम्भावना है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र का 3.16 प्रतिशत भाग अर्थात् 3 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 5.43 प्रतिशत अर्थात् 36 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका-16 में दर्शाया गया है:-

तालिका-16

प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, परबतसर- 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	4
2	थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार	16
3	भण्डारण एवं गोदाम	13
4	वाणिज्यिक केन्द्र	3
योग		36

5.2.1 केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

नगर का मुख्य बाजार क्षेत्र ही केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है। क्योंकि यहां पर वर्तमान में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं। मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तरी एवं दक्षिण एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड़ एवं राज्य राजमार्ग-21A पर कुल प्रस्तावित 8 हैक्टेयर क्षेत्र में से 4 हैक्टेयर क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु आरक्षित किया गया है।

5.2.2 थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार

परबतसर में वर्तमान में अनाज मण्डी नहीं है अतः मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड़ पर 16 हैक्टेयर भूमि थोक एवं विशिष्ट बाजार हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2.3 भण्डारण एवं गोदाम

परबतसर नगर में भविष्य में सम्भावित औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने पर नगर में भण्डारण एवं गोदामों की आवश्यकता होगी। अतः मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड़ पर 13 हैक्टेयर भूमि भण्डारण एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2.4 वाणिज्यिक केन्द्र

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात सम्बन्धी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को उचित स्थानों पर स्थित किये जाने के लिए परबतसर मास्टर प्लान में 3 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों ओर समुचित मात्रा में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सके। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर 8 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि में से 3 हैक्टेयर भूमि वाणिज्यिक केन्द्रों हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.3 औद्योगिक

परबतसर नगर औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वर्तमान में यहां कांच फैक्ट्री उद्योग से सम्बन्धित ईकाई संचालित है। रीको द्वारा इस क्षेत्र के आस-पास बिदियाद एवं मकराना में उपलब्ध मार्बल को दृष्टिगत रखते हुए बिदियाद मार्ग पर ग्रोथ सेन्टर विकसित किया जा रहा है। रीको द्वारा किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में नगरीयकृत क्षेत्रफल में संचालित समस्त औद्योगिक इकाइयों के अन्तर्गत क्षेत्रफल लगभग 1 हैक्टेयर है, जो कि काफी कम है।

अतः भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में रीको के विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के समीप लगभग 78 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार मास्टर प्लान में कुल 79 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसका मुख्य आधार मार्बल उद्योग एवं इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए समस्त इकाइयों को एक ही स्थान पर स्थापित करना है।

5.4. सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान में परबतसर में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत केवल 6 हैक्टेयर भूमि विकसित है जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.32 प्रतिशत है। परबतसर में कुल 19 सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार के 4, राज्य सरकार के 10 एवं 5 अर्द्ध-सरकारी कार्यालय हैं।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु मास्टर प्लान के दक्षिणी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्रों में राज्य राजमार्ग-7 पर 9 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 15 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5.5 आमोद-प्रमोद

परबतसर के निवासियों एवं प्रवासियों के मनोरंजन आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में 3.00 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है। नगर के उत्तरी, दक्षिणी व पश्चिमी योजना परिक्षेत्रों में क्षितिज वर्ष 2031 तक नगर की आमोद-प्रमोद की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न स्थलों पर 58 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार नगर में विद्यमान स्थिति से योजना अवधि 2031 तक प्रस्तावित कुल क्षेत्र 61 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 8.93 प्रतिशत होगा।

5.5.1 उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः नगर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से नगर वासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध होता है। परबतसर नगर में दो सामुदायिक नगर स्तरीय उद्यान यथा नेहरू उद्यान एवं हनुमान कॉलोनी का उद्यान है। उपरोक्त समस्त उद्यान लगभग 0.30 हैक्टेयर में स्थित है, इन समस्त पार्कों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। उपरोक्त पार्क जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। अतः भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करते हुए मास्टर प्लान में परबतसर नगर की चारों दिशाओं में विभिन्न स्थलों पर खुले स्थलों का यथोचित प्रावधान रखा गया है, जहाँ उद्यान आदि विकसित किये जा सकेंगे।

5.5.2 स्टेडियम एवं खेल मैदान

परबतसर नगर में वर्तमान में नगर के दक्षिणी-पूर्वी भाग में नगरपालिका सीमा के बहार अर्द्ध विकसित श्रेणी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नामक स्टेडियम स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.7 हैक्टेयर है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड पर लगभग 4 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एक स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है।

5.5.3 अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

परबतसर में वर्तमान में अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर किसी भी प्रकार स्वयं सेवी संस्था कार्यरत नहीं है, अतः नगर में आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नागरिक जागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रम नगरपालिका एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्पन्न कराई जाती है।

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाएं जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलरी, क्लब, सिनेमा इत्यादि जैसे भू-उपयोग आते हैं, के लिए मास्टर प्लान में भूमि प्रस्तावित की गई है। अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थल प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों में एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जाएगा।

5.5.4 मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

परबतसर मेले की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नगर है यहां प्रतिवर्ष खारिया तालाब के समीप वीर तेजाजी पशु मेला लगता है जिसमें हजारों की तादाद में पशुओं की खरीद-फरोख्त की जाती है, यहां के ऊंट व बैल प्रदेश भर में प्रसिद्ध होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्रीय लोग यहां मेले में आते हैं, मेले का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लोगों में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व आपसी सहयोग की भावनाएँ जाग्रत करने के लिए इस मेले का काफी महत्त्व माना जाता है। परबतसर में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं स्थानीय नागरिकों के लिए रेस्तरां, रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क एवं पार्किंग इत्यादि सुविधाएं विकसित की जानी प्रस्तावित हैं।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा शमशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। परबतसर की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं नगण्य हैं। इस समस्त सुविधाओं को नगर विकास के जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 58 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.1 शैक्षणिक सुविधाएं

परबतसर नगर शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। यहां पर आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थल आरक्षित किये गये हैं। इस आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान में विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं, जिनकी स्थिति को मास्टर प्लान में दर्शाया गया है नगर के अधिकतम स्कूल नगर के मध्य क्षेत्र में संचालित है, जिसके कारण नगर में यातायात व अन्य समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं।

तालिका 8 के अनुसार परबतसर में 13 प्राथमिक, 12 उच्च प्राथमिक एवं 6 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां पर समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 7277 है। उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थान लगभग 2 हैक्टेयर भूमि पर संचालित है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां 1 महाविद्यालय 9 हैक्टेयर भूमि पर, 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 5 हैक्टेयर भूमि पर एवं 5 शिक्षण संस्थान 5 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार शैक्षणिक सुविधाओं में कुल 21 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। परबतसर की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को निम्न तालिका-17 में दर्शाया गया है:-

तालिका-17

अनुमानित शैक्षणिक संरचना, परबतसर-2031

क्र.सं.	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	औसत विद्यार्थियों की संख्या
1	महाविद्यालय	3	3000	1000
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2	500	250
3	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	11	5500	500
4	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12	6000	500
5	प्राथमिक विद्यालय	13	6500	500
योग		41	21500	524

5.6.2 चिकित्सा सुविधाएं

परबतसर नगर में वार्ड न. 14 में गांधी सर्किल के समीप एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 50 शैया है जिसका अनुपात लगभग 4 शैया प्रति डेढ हजार व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड न. 12 में एक राजकीय पशु चिकित्सालय एवं राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। उपरोक्त समस्त चिकित्सा सुविधाओं का कुल क्षेत्रफल 0.40 हैक्टेयर है, जो कि वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं की दृष्टि से काफी कम है अतः वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी योजना परिक्षेत्रों में तीन डिस्पेंसरी प्रस्तावित की गई है, इन चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत 3 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है, इस प्रकार भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुल 3.4 हैक्टेयर क्षेत्रफल चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

5.6.3 सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु पर्याप्त स्थल दर्शाये गये हैं। नगर में उपलब्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का पुर्नउत्थान एवं नवीन संरचना हेतु विकास कार्य किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 3 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

5.6.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकता अनुसार प्रावधान रखा जाना चाहिए। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। ऐसी सुविधाएं, जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जैसे बारात स्थल आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भूमि में किया जाना चाहिए।

5.6.5 जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, मल-जल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के

कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में सम्बन्धित विभाग द्वारा मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रयास किये जाएं। वर्तमान में आधार वर्ष 2010 के नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत जनोपयोगी सुविधाओं हेतु लगभग 0.50 हैक्टेयर भूमि है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दक्षिणी व पूर्वी योजना परिक्षेत्रों में 9.2 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.5(अ) जलापूर्ति

परबतसर नगर में 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित हुलढाणी से 14 सार्वजनिक नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए दो ओवर हैड टैंक निर्मित हैं जिनकी कुल क्षमता 440 कि.ली है। इसके अलावा 5 सी.डब्ल्यू.आर. टैंकों का निर्माण किया गया है जिनकी क्षमता 670 कि.ली है। नगर में 2281 आवासीय तथा 130 व्यावसायिक एवं 5 औद्योगिक कनेक्शन हैं। वर्तमान में परबतसर नगर में कुल 2416 कनेक्शनों के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर जलापूर्ति की जाती है। नगर में उपलब्ध पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से अधिक होने के कारण पानी को फ्लोराइड मुक्त करने के लिए प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2031 तक यहां की कुल जनसंख्या लगभग 37430 होने का अनुमान है। अतः जलदाय विभाग को उक्त जनसंख्या हेतु पानी की उचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में दक्षिणी योजना परिक्षेत्र में जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत 4.5 हैक्टेयर भूमि जलदाय विभाग के लिए प्रस्तावित की गई है।

5.6.5(ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

परबतसर में जल-मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहां पर वर्षा के पानी की निकासी का उचित प्रावधान नहीं है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैला हुआ रहता है। यहां पर सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था भी नहीं है। अधिकांश मकानों में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है।

इस नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहां के निवासियों को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। परबतसर नगर में ठोस कचरा प्रबन्धन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यहां पर ट्रेक्टर-ट्रोल्ली

की सहायता से कचरा ईकट्टा किया जाता है तथा उसे नगर से 8 कि.मी. की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा सदैव बना रहता है। नगरपालिका एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तारतम्य से प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कचरा प्रबन्धन की वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में मृदा परीक्षण एवं ठोस कचरा संयंत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में नगर के सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट उपरान्त प्राप्त जल को पुर्नचक्रण पद्धति के तहत वृक्षारोपण, बाग-बगीचे के रख-रखाव हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

5.6.5(स) विद्युत आपूर्ति

परबतसर नगर में विद्युत आपूर्ति वार्ड नं. 1 में स्थित 33/11 केवीए ग्रिड सब स्टेशन से की जाती है। यहां विद्युत उपलब्धता की कमी के कारण प्रतिदिन आवश्यकतानुसार लगभग 4 घण्टों के लिए बिजली कटौती होती है।

वर्ष 2031 तक 37430 अनुमानित जनसंख्या हेतु विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समुचित उपाय व व्यवस्था विद्युत वितरण निगम को करनी होगी। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वी योजना परिक्षेत्र में 33/11 के.वी. के नए ग्रिड सब-स्टेशन हेतु जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत कुल 4.7 हैक्टेयर भूमि विद्युत प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है।

5.6.5 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तान की भूमि को यथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चार दीवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहां के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं

यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय जनता एवं पर्यटक आदि के लिए आवागमन एवं उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। इस नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, यहां पर होने वाले यातायात संचरण के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं, ताकि परबतसर नगर अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, अतः अपने पृष्ठ क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु यहां के लिए एक कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है।

5.7.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

परबतसर नगर में वर्तमान क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों पर रहता है। नगर के अन्दर सड़कें संकरी, टेढ़ी-मेढ़ी व घुमावदार है। नगर की यातायात व्यवस्था को भू-उपयोग योजना में एक दूसरे की पूरक के रूप में तैयार किया गया है, ताकि यह यात्रियों के सामान तथा अन्य सेवाओं के आवागमन के लिए प्रभावी प्रणाली के रूप में सिद्ध हो सके। परबतसर से राज्य राजमार्ग-7 एवं 21A गुजरते हैं। इन राज्य राजमार्ग को ध्यान में रखते हुए नगर का विस्तार लगभग सभी दिशाओं में समान रूप से प्रस्तावित किया गया है।

5.7.1(अ) सड़कों का मार्गाधिकार

राज्य राजमार्ग एवं रिंग रोड 60 मीटर, प्रमुख सड़कें 30 मीटर, मुख्य सड़कें 18 मीटर एवं अन्य सड़कें 18 मीटर से कम प्रस्तावित की गई है। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें यातायात प्रणाली का मुख्य भाग हैं। विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई तालिका-18 में दर्शायी गई है। कुचामन सिटी को जाने वाले मार्ग एवं नगर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड नगर के दक्षिणी भाग में पीपलाद एवं मालास गुसाईयाँ के मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर रखी गई है। नगर के पश्चिम योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम के पूर्वी दिशा एवं प्रस्तावित थोक व्यापार के दक्षिणी दिशा में मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर प्रस्तावित की गई है। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर व इससे कम रखी गई हैं। पुराने बसे हुए गाँवों के क्षेत्र में स्थित पुरानी सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार को तालिका-19 में दर्शाया गया है:-

तालिका-18

विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई-परबतसर-2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राज्य राजमार्ग	60
2.	रिंग रोड	60
3.	प्रमुख सड़कें	30
4.	मुख्य सड़कें	18
5.	अन्य सड़कें	18 से कम

तालिका-19

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, परबतसर-2031

क्रमांक	सड़क की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार (मीटर में)
1	संगरीया से रूपनगढ़ को जाने वाला राज्य राजमार्ग-7 एवं राज्य राजमार्ग-21A	60
2	नगर के चारों तरफ प्रस्तावित रिंग रोड	60
3	परबतसर से पीपलोद एवं मालास गुसाईयां को जाने वाला मार्ग	60
4	पश्चिमी परिक्षेत्र में प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम व थोक व्यापार के पूर्व व दक्षिणी दिशा में प्रस्तावित मार्ग	30
5	अन्य सड़कें (पूर्व विकसित क्षेत्र)	18 मी. से कम

5.7.1(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकेंगे। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु व्यावसायिक स्थलों के आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात सुगम हो सके।

5.7.1 (स) पार्किंग स्थलों का विकास

परबतसर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना क्षेत्रों में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

5.7.1(द) चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त चौड़ाई तथा चौराहों की गलत परिकल्पना आदि मुख्य कारण हैं। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की तकनीकी जाँच कर उन्हें परिष्कृत रूप में पुनः डिजाईन करने का प्रस्ताव है।

5.7.2 बस अड्डा तथा यातायात नगर

5.7.2(अ) बस अड्डा

वर्तमान में परबतसर में एक अस्थायी बस अड्डा है जिसका क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाएं वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से काफी कम हैं। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में परबतसर में योजना के पूर्वी

योजना परिक्षेत्र में किशनगढ़ को जाने वाले राज्य मार्ग एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ जंक्शन पर कुल 0.89 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 1 बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है।

5.7.2(ब) यातायात नगर

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में बिदियाद को जाने वाले मार्ग एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ जंक्शन पर लगभग 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 1 ट्रक टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 टैक्सी एवं थ्री व्हीलर स्टैण्ड दक्षिणी योजना परिक्षेत्र एवं पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग-7 एवं प्रस्तावित रिंग रोड़ पर प्रस्तावित किये गये हैं।

5.7.2. (स) रेल एवं हवाई सेवा

परबतसर में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, वर्तमान में यहां से रेल यात्री सेवाएं बन्द है। परबतसर का समीपस्थ हवाई अड्डा 119 कि.मी. की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा के मध्य स्थित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में रखा गया है। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई-वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौंटैल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मील, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, बजरी, उत्खनन गतिविधियां आदि अनुज्ञेय होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरीय विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी।

5.9 ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर स्थित गाँवों का विकास एवं विस्तार नियमित ढंग से ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है कि यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो जाएगी जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न होंगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव कर मास्टर प्लान को अर्थहीन बना देगी। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जावेंगी, ताकि इन गांवों का विकास भी सुनियोजित ढंग से हो सके।

6.

योजना का क्रियान्वयन

परबतसर नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर में रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को क्रियान्वित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन इस प्रक्रिया का भाग है, जो योजना को कार्यक्रम में प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि आवास और कार्य करने के स्थल के रूप में परबतसर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय निकाय, परबतसर का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया नगर पालिका अधिनियम स्थानीय निकाय को समुचित अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। अतः मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का समुचित उपयोग किया जाकर ही नगर में सुनियोजित विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका परबतसर का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि परबतसर के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक अधिसूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, परबतसर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, परबतसर से निर्धारित राशि देकर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका परबतसर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका परबतसर मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास का समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ व सशक्त किया जाए और समय-समय पर आवश्यकतानुसार समुचित अधिकार दिये जाए। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करते रहना होगा।

6.3 जन सहयोग एवं जन सहभागिता

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता से ही नगर का नियोजित विकास एवं स्वस्थ वातावरण संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

परबतसर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी की गई है तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या नहीं। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्ति की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन

परबतसर नगर के मास्टर प्लान में नगर के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत् समय की आवश्यकता के मद्देनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की एक तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित है। परबतसर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और परबतसर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

परबतसर का नगरीय क्षेत्र वर्तमान में नगर पालिका सीमा से काफी बाहर तक प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2031 तक प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र भी नगर पालिका सीमा से बाहर प्रस्तावित है अतः मास्टर प्लान के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सीमा को नगर की प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र सीमा तक बढ़ाया जाना उचित होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

- 3— राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:
- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
 - (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।
- 4— मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :
- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
 - (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाएं और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।
- 5— अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :
- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।
 - (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette,
Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

- (1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

- (1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,
- (3) "Section" means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

- ¹[(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invitation suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]².

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-
- a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
 - b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - d. Written analysis and written statement to support the proposals.
 - e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

- ¹[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(156)नविवि/3/2010

जयपुर दिनांक 26.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, नागौर को परबतसर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र.सं.	ENGLISH	हिन्दी
1	PARBATSAR	परबतसर
2	GINGOLI	गिंगोली
3	SHYAMPURA	श्यामपुरा
4	DARAPURA	डारापुरा
5	KHEDARPURA	खेदरपुरा
6	NARWA	नड़वा
7	MALAS GUSAIYAN	मालास-गुसाईयाँ
8	PIPLAD	पीपलाद
9	MEHGAON	मेहगाव

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 10(156)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक : 12 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "परबतसर" (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका, परबतसर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्य पाल की आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को मय सीडी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जौन, अजमेर।
6. जिला कलक्टर, नागौर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मेडतासिटी।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)

उप नगर नियोजक